राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक : प. 1(5) कार्मिक/क–4/2017 जयपुर, दिनांक : 06–09–2017

आज्ञा

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2013 के परिणाम एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल महोदय निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं। यह संगत तिथि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (फाउण्डेशन ट्रेनिंग कोर्स) के लिए रिपोर्ट करने की तिथि अथवा पूर्व में आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (फाउण्डेशन ट्रेनिंग कोर्स) उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में इस विभाग को रिपोर्ट करने की तिथि अनुसार होगी :–

क्र. सं.	मेरिट नं.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	वर्ग	जन्मतिथि	विशेष विवरण
1.	1	906125	अनिल कुमार सिंघल	GE,RG	05/04/1981	
2.	2	917477	यदु भारद्वाज	GE	22/03/1987	प्रोविजनल
3.	3	919373	देवयानी	BC,WE	17/04/1983	
4.	4	902646	सुखा राम	BC,RG	08/07/1987	
5.	5	933308	प्रशान्त शर्मा	GE	04/03/1991	प्रोविजनल
6.	6	934211	प्रमोद सीरवी	GE	15/08/1992	
7.	7	925568	हवाई सिंह यादव	BC	07/09/1985	प्रोविजनल
8.	8	924090	अशोक कुमार	BC,RG	15/10/1989	
9.	9	916397	रमेश कुमार	BC,RG	05/05/1987	प्रोविजनल
10.	10	906555	देवेन्द्र सिंह परमार	GE	01/05/1989	प्रोविजनल
11.	11	930738	महावीर	GE,RG,NG	22/09/1978	
12.	12	917372	श्यामा राठौड़	GE,WE	16/11/1992	
13.	13	932217	पुष्पा कंवर सिसोदिया	GE,WE	08/11/1977	
14.	14	935194	विकास पंचोली	GE,RG	13/04/1987	
15.	15	911131	राम कुमार वर्मा	BC	01/07/1975	प्रोविजनल

क्र. सं.	मेरिट नं.	रोल नं.	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री / सर्वश्री / श्रीमती)	वर्ग	जन्मतिथि	विशेष विवरण
16.	16	916686	मुकेश कुमार मीणा	ST,RG	15/07/1979	
17.	17	928709	महीपाल सिंह	BC,RG	15/02/1982	
18.	18	916728	संजय गोयल	GE	09/04/1991	
19.	19	917221	दिपांशु सांगवान	BC	15/12/1980	
20.	20	925559	मुकेश चौधरी	BC	30/06/1987	प्रोविजनल
21.	21	915022	अंशुल सिंह	GE	30/10/1986	प्रोविजनल
22.	23	925393	आकांक्षा बैरवा	SC,WE	10/05/1982	
23.	31	924021	राम निवास बुगालिया	BC	10/11/1989	प्रोविजनल
24.	32	911722	वीरमा राम	BC	04/06/1990	
25.	34	932353	अभिषेक चारण	BC	30/03/1989	प्रोविजनल
26.	37	910583	पवन कुमार	BC,RG	23/05/1989	
27.	38	915275	सुनीता यादव	BC,WE	25/09/1990	प्रोविजनल
28.	40	921033	राहुल सैनी	BC	02/11/1986	प्रोविजनल
29.	46	932367	समदर सिंह भाटी	GE,RG,NG	01/07/1981	
30.	60	910466	प्रियंका तलानिया	SC,WE	29/03/1988	प्रोविजनल
31.	62	910734	निशा सहारण	BC,WE	01/07/1986	
32.	64	910049	मनीषा लेघा	BC,WE	21/02/1989	प्रोविजनल
33.	73	933848	दिनेश विश्नोई	BC,RG,NG	05/05/1983	
34.	154	928812	केशव कुमार मीना	ST	03/04/1990	
35.	155	930551	सुमन सोनल	SC,WE	20/06/1991	
36.	156	922287	पिंकी मीणा	ST,WE	24/07/1992	
37.	162	935034	हर्षित वर्मा	SC	22/09/1986	प्रोविजनल
38.	195	924985	मनोज कुमार वर्मा	SC	23/01/1983	प्रोविजनल
39.	211	927850	अमित कुमार वर्मा	SC,RG	26/06/1985	प्रोविजनल
40.	240	912239	गोपाल डांगी	SC	15/05/1992	
41.	265	920110	निधि सिंह	SC,WE	09/05/1989	
42.	270	924933	संजू मीणा	ST,WE	05/04/1990	
43.	368	927693	सन्तोष कुमार मीना	ST,RG	01/07/1984	प्रोविजनल
44.	375	923035	बृजेन्द्र मीना	ST	05/04/1988	
45.	386	916840	रामावतार मीना	ST	07/07/1987	प्रोविजनल
46.	425	916273	निधि चौहान	SC,WE	03/09/1992	प्रोविजनल
47.	1095	933204	हीना कल्ला	GE,WE,BL,RG	23/01/1989	
48.	1661	941936	बिन्दु बाला राजावत	BC,WE,WD,NG	07/12/1982	
49.	1705	931459	नीलम लखारा	BC,WE,WD,RG	02/11/1978	

1. उक्त नियुक्तियॉ मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील सं. 18272–76/2008 (सिविल अपील सं. 2049–2053/2011) तथा याचिका सं. 140/11 एवं मा. उच्च न्यायालय में याचिका सं. 6744/2008, 11200/2010, याचिका सं. 1862/2013 और मा. उच्च न्यायालय में लम्बित सभी विभिन्न रिट याचिका /विशेष अनुमति याचिकाओं एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी। इसके साथ ही मा0 उच्च न्यायालय में दायर डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 334/17 द्वारा श्री भंवराराम चौधरी व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 9.5.17 तथा एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 7815, 7825/17 एवं 8020/17 द्वारा देवेन्द्रपाल सिंह चौहान बनाम राज्य सरकार में पारित अंतरिम निर्णय दिनांक 12.7.17 की अनुपालना में नियुक्तियां उक्त आदेश के अध्यधीन रहेंगी। इसी प्रकार डी0बी0 स्पेशल अपील रिट सं. 1488/16 झाबरमल ग्रहवाल तथा 1410/16 द्वारा लक्ष्मणसिंह बनाम आयोग के प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 26.5.17 के विरूद्व मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एस0एल0पी0 तथा एस0बी0सी0डब्ल्यू0 पी0 सं. 13952/16 रामूराम बनाम राज्य सहित कुल 07 रिट याचिकाओं/प्रकरणों (यथा एसबीसीडब्ल्यू0 पी0 सं. 13952/16, 13473/16, 13930/16, 13953/16, 13994/16, 14398/16 व 15120/16) में मा0 न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित संयुक्त निर्णय दिनांक 30.5.17 के विरूद्व खण्डपीठ के समक्ष दायर की जाने वाली एस0एल0पी0 के निर्णय के अध्यधीन रहेंगी। मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट सं. 11200/2010 के अध्यधीन भी उक्त नियुक्तियां रहेंगी।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना कमांकः प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

3. गर्भवती महिलाओं के लिये कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र कमांकः प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.08.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।

4. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियॉ राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।

6. उक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन हैं।

7. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

8. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

9. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग–पत्र दे देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करेंगे।

10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।

11. जिन अभ्यर्थियों ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, वे आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका के साथ इस विभाग को आवश्यक रूप से दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9:30 बजे (कमरा नं. 1221, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर) में उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।

12. अभ्यर्थियों को दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 9:30 बजे तक निश्चित रूप से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में उपस्थित हो जाना चाहिए। अभ्यर्थियों के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर द्वारा तय प्रशिक्षण के दौरान छात्रावास में निवास करना अनिवार्य है। छात्रावास सुविधा दिनांक 10.09.2017 अपरान्ह से उपलब्ध होगी।

13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा–निर्देश हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान की वेबसाईट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए उक्त नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।

15. आपराधिक प्रकरणों के संबंध में यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्व प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी तथा ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्व नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

16. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई भी अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
संयुक्त शासन सचिव
0141–2227347

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0 जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ठ सचिवगण।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पदेन महानिदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त आज्ञा के बिन्दु संख्या 9 में उल्लेखित ''बन्ध पत्र'', बिन्दु संख्या 15 में अंकित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में **"Self declaration"** अथवा शपथ पत्र तथा बिन्दु संख्या 16 के अनुसार, जो अभ्यर्थी विवाहित हों उनके विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र एवं जीवित संतान/संतानों की सूचना की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशिक्षण हेतु इनकी उपस्थिति सुनिश्चित कर इस विभाग को तत्काल अवगत करावें।
7. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–4/2) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
12. संबंधित अधिकारी (क्र. सं. 1 से 49 तक)।
13. ए.सी.पी. (उप निदेशक) कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर

HCM RAJASTHAN STATE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION, JAIPUR

Phone: 0141-2706556, Fax: 0141-2705420

visit us-www.hcmripa.gov.in

WELCOME TO THE INSTITUTE

It is with great pleasure that we welcome you to the Foundation Training Programme at the HCM Rajasthan State Institute of Public Administration, Jaipur. This is a highly significant moment of your life and the beginning of a new journey on the path of a successful career as a civil servant. We wish you all the best and hope that you will be able to meet all the challenges, discharge enormous responsibility and get varied opportunities for service to people in the state.

Joining Instructions

1. Joining:

(a) You are expected to present a joining report on 11 September 2017. A format of joining report is available in your Joining Kit. You are requested to submit it on the counter provided for this purpose at hostel Vishranti, HCM RIPA, Jaipur.

(b) You are also requested to execute a Bond and affirm an Oath. Both forms are available in your joining kit.

2. Accommodation:

a) During the training, stay in the Hostel at HCM RIPA, Jaipur as allotted by the Institute is compulsory. No family members including spouses, guests, relatives, friends or private servants etc. are permitted to stay in the accommodation allotted to the probationers.

b) Room Allotment: Rooms would be available on twin sharing basis. Looking to the large number of probationers, several rooms will have accommodation for 3 probationers. HCM RIPA will allot room on your arrival.

c) Charges: The charges for accommodation in Vishranti are ₹ 50.00 a day per head for all probationers. However, those probationers will be exempted who are probationer trainee with fixed remuneration elected for the first time in service. The rooms are provided with basic furniture, mattress with bed-sheets and pillows with covers. Officer trainees should bring their personal items for their personal requirements.

d) Smoking, Possession/consumption of alcoholic drinks and banned drugs by the officer trainees is strictly prohibited. Defaulting officer-trainees will invite disciplinary action under the rules.

e) Mess: Membership of the hostel Mess is compulsory. Mess facilities include Bed Tea, Breakfast, Lunch, Evening Tea and Dinner in a day. Timings of Mess have been displayed in Vishranti. You are directed to reach in Mess in time for meals like Breakfast/lunch and dinner as there is no provision for room service. Late comers will not be provided mess facilities. No guests are allowed with the probationers in Mess. In case, probationers feel that their guest will also avail any mess facility, they will have to pay the charges in cash to the Mess contractor.

f) The Mess charges will come to ₹ 6500/- p.m. approximately which you have to pay in advance for first month to Shri Devendra Singh Rathore, Manager, Vishranti within one or

two days. Payment may be made in cash. Probationers may also pay the charges through DD/Cheque in favour of "HCM RIPA Rajasthan" payable at State Bank of India, Malviya Nagar, Jaipur (SB Account No. 10054352398, IFSC Code SBIN0006912). Cooking in the hostel room is strictly prohibited.

3. Classes:

Classes shall be held in different batches in the HCM RIPA. However some common activities shall be arranged at one place in the Institute. Use of Mobile in classes is strictly prohibited.

4. Clothing:

a) As a Public Servant this Foundation Training Course is the best opportunity to inculcate highest standard of self-discipline, dignity and decorum expected from an officer of State Service. HCM RIPA lays strong emphasis on properly turned-out appearance. At all the times you are expected to be well groomed and neat in appearance and should wear clean clothes. You are expected to be well groomed, neatly attired and not present an unkempt or untidy appearance at any time. Dress code for classroom will be: Navy Blue Blazer, which is compulsory in class for both formal and informal occasions. Track Suit with Sports Shoes during PT session.

b) Physical Training is compulsory for all of you in morning hours before class timings. At that time a trainee Gentleman is required to wear white T-Shirts, shorts and white shoes with socks and a lady officer trainee is required to wear white Salwar Kurta, White shoes and socks.

c) *On the formal and ceremonial occasions*

During Foundation Training Programme there will be various occasions on which, Hon'ble CM, Hon'ble Ministers, eminent persons, very senior State Government Officers may address you. Lady Officers are advised to procure a saree and

gentlemen officers are advised to procure a Navy Blue Blazer, white shirt, black trousers and a pair of black shoes. Both male and female officers are expected to wear Blazers.

d) Wearing of lapel card is compulsory during all training activities. Lapel card will be prepared by the HCM RIPA.

5. Personal Vehicle:

As the FC is compulsorily residential, probationers are directed not to bring their vehicles like two wheelers, Car etc. in the Institute. Personal vehicles are not permitted.

6. Training Kit:

You are requested to arrange a light kit bag for use in tours and extra lock for almirah in your room at Hostel. Your training kit contains the following items:

1. Folder 2. Note Book 3. Pen 4. Course Hand Book 5. HCM RIPA brochure 6. Mess Instructions 7. Book on Shistachar/Etiquettes 8. Personal Information Format 9. Joining Report Format 10. Bond Format 11. Oath Format.

7. Wifi Campus:

HCM RIPA is a Wifi Campus. You are to select Jaipur-Wifi. You will be registered on your mobile through OTP.

8. Leave:

No leave shall ordinarily be granted during the period of training.

9. Conduct and discipline:

Throughout the training during your stay on campus you will be deemed to be on duty. You are expected to strictly observe the discipline of the Institute. You must be courteous in the dealing with faculty members, colleagues and members of the staff in the

Institute. You are expected to be punctual at all times. Any violation of the discipline will be seriously viewed and may lead to termination of the training.

10. Personal Information:

Joining will start on 11 September 2017 at 9.30 AM. You are required to submit following documents at the time of joining:

1. Self certified copy of PAN Card
2. Self certified copy of AADHAR/Voter ID
3. Details of Bank Account No., Branch Name and IFSC Code
4. Copy of Marriage Certificate (Not required if you have submitted to appointing authority)
5. Copy of Secondary School Certificate issued by Board of Secondary Education for date of birth
6. Photocopy of your appointment order
7. 4 passport size photo

You are expected to fill personal information in prescribed format at the time of joining.

Trainee Officers are expected to assemble on 11 September 2017 at 2.30 p.m. in B.S. Mehta Auditorium, Nehru Bhawan, HCM RIPA, Jaipur after giving joining report and other documents.

Congratulations on joining State Service and wish you all the best and good luck for your bright future.

Director General, HCM RIPA

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर

दूरभाष: **0141-2706556**, फैक्स: **0141-2705420**
वेबसाइट-**www.hcmripa.gov.in**

संस्थान में स्वागत

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर द्वारा आयोजित किये जा रहे राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते है। आपके जीवन का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षण है कि एक सिविल सेवक के रूप में सफल कैरियर की ओर आपकी नई यात्रा शुरू हो रही है। हम आशा करते है कि आप शासन की सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने योग्य होगें, विविध उत्तरदायित्वों का निवर्हन कर सकेगें तथा राज्य में जनता को सेवा देने के लिए विविध अवसर प्राप्त कर सकेगें।

1. प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति :

(अ) आपसे आशा की जाती है कि आप 11 सितम्बर 2017 को प्रातः 9.30 बजे से अपना कार्यग्रहण प्रतिवेदन संस्थान में प्रस्तुत करें। आपके प्रशिक्षण किट में उक्त प्रतिवेदन का एक प्रारूप रखा गया है। संस्थान के विश्रान्ति छात्रावास स्थित काउन्टर पर आप यह जमा करा देवें।

(ब) आपसे यह भी अनुरोध है कि आप एक बंधक पत्र निष्पादित करें व शपथ लें। दोनो के प्रारूप प्रशिक्षण किट में रखे गये है।

2. आवास

(अ) प्रशिक्षण के दौरान संस्थान के विश्रान्ति में आपको आवंटित कमरे में विराम करना अनिवार्य है। प्रशिक्षु अधिकारियों को आवंटित आवासीय कमरे में अपने परिवार के सदस्यों जिसमें पति/पत्नि, बच्चे, अतिथि, संबंधी, मित्र या निजी नौकर–चाकर को ठहराने की अनुमति नहीं है।

(ब) विश्रान्ति में दो प्रशिक्षुओं को एक कमरे में ठहराने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए कुछ कमरों में तीन प्रशिक्षुओं को भी ठहराया जा सकता है। आपके आगमन पर रीपा द्वारा आपको कमरे का आवंटन किया जावेगा।

(स) विश्रान्ति में प्रशिक्षुओं के लिए आवासीय सुविधा के लिए ₹ 50 प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति की दर से किराया वसूल किया जावेगा। परन्तु, जो प्रशिक्षु सेवा में पहली बार नियत मानदेय पर प्रशिक्षु प्रशिक्षार्थी के रूप में नियुक्त हुए है वे किराये से मुक्त रहेगें। विश्रान्ति के कमरों में आधारभूत सुविधाएं जैसे फर्नीचर, बैड, बैडशीट, पिलो कवर आदि उपलब्ध कराये गये है। प्रशिक्षु अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार व्यक्तिगत सामान अपने साथ ला सकते है।

(द) संस्थान परिसर में धूम्रपान, मदिरापान, अथवा मदिरा का रखना व अन्य प्रतिबन्धित नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतया निषेध है। दोषी पाये गये प्रशिक्षुओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(य) विश्रान्ति स्थित मैस की सदस्यता सभी के लिए अनिवार्य है। मैस सुविधाओं में सभी प्रशिक्षुओं के लिए प्रतिदिन प्रातःकालीन चाय, नाश्ता, मध्यान्ह भोजन, सायंकालीन चाय व रात्रि भोजन सम्मिलित है। विश्रान्ति में मैस सुविधाओं के समय यथास्थान नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कर दिये गये है। आपको यह निर्देश दिये जाते है कि आप नाश्ता, लंच, डिनर आदि सुविधाओं की प्राप्ति

हेतु निर्धारित समय पर मैस में पहुंचे क्योंकि कमरों में सर्विस देने का कोई प्रावधान नहीं है। विलम्ब से आने वाले प्रशिक्षुओं को मैस सुविधाएं नहीं दी जा सकेगी। मैस में प्रशिक्षुओं को अपने अतिथि लाने की आज्ञा नहीं है परन्तु यदि वे यह महसूस करते है कि उनसे मिलने आये अतिथि भी मैस सुविधा लेना चाहते है तो वे मैस अनुबन्धकर्ता को संबंधित सुविधा का प्रभार चुका कर मैस सुविधा ले सकेगें।

(र) मैस प्रभार अनुमानतः ₹ 6500 प्रतिमाह होगा जिसका भुगतान प्रत्येक माह के प्रारम्भ में श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, प्रबन्धक, विश्रान्ति को करना होगा। माह सितम्बर 2017 का भुगतान संस्थान में रिपोर्ट करने के साथ ही विश्रान्ति में जमा कराना होगा। सामान्यतः भुगतान नगद किया जावेगा। प्रशिक्षु चाहे तो यह भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक द्वारा "एच.सी.एम. रीपा राजस्थान" के पक्ष में बनवाकर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, मालवीय नगर, जयपुर के एस.बी.खाता सख्या 10054352398, आई.एफ.एस.सी. कोड SBIN0006912) भी किया जा सकता है। छात्रावास के कमरों में भोजन बनाना निषेध है।

3. कक्षाएं

ह.च.मा. रीपा में अलग–अलग बैच में कक्षाएं आयोजित होगी। लेकिन कुछ सामान्य गतिविधियां एकल स्थान पर भी की जा सकती है। कक्षा में मोबाईल का प्रयोग निषेध रहेगा।

4. वेशभूषा

(अ) एक लोकसेवक के रूप में आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आपके जीवन का एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ अवसर है जब आप स्व–अनुशासन, गरिमा व प्रतिष्ठा के उच्चतम स्तरों का प्रदर्शन कर पायेगें जो कि राज्य सेवा के अधिकारी से प्रत्याशित है। संस्थान यह अपेक्षा करता है कि आप समुचित वेशभूषा में रहें। स्वच्छ वस्त्र पहने व साफ–सुथरे नजर आयें। कक्षा के दौरान आपकी वेशभूषा यह रहेगी : नेवी ब्लू ब्लेज़र जो कि औपचारिक एवं अनौपचारिक अवसरो पर

कक्षा में पहनना अनिवार्य रहेगा। पी.टी. सत्र के दौरान स्पोर्ट्स शूज के के साथ ट्रेक सूट पहनना अनिवार्य होगा।

(ब) प्रशिक्षण समय से पूर्व सुबह के अवसर पर आपका शारीरिक प्रशिक्षण अनिवार्य रहेगा। इस समय पुरूष प्रशिक्षुओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सफेद टी–शर्ट, निकर व सफेद मौजे व सफेद जूतों में उपस्थित रहे। महिला प्रशिक्षुओं को सफेद सलवार–कुर्ता, सफेद मौजे व सफेद जूतों में उपस्थित रहना होगा।

(स) आधारभूत प्रशिक्षण के दौरान ऐसे अवसर आयेगें जब आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय मंत्रीगण, प्रख्यात व्यक्ति, वरिष्ठ राज्य सरकार के अधिकारी आपको संबोधित करेगें। महिला प्रशिक्षुओं को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसे अवसरों के लिए साड़ी खरीदें व पहने जबकि पुरूष प्रशिक्षुओं को यह सलाह है कि वे नेवी ब्लू ब्लेज़र, सफेद कमीज, काली पेन्ट व काले जूतों में उपस्थित रहे। महिला एवं पुरूष दोनो ही प्रशिक्षुओं को ब्लेजर पहनना अनिवार्य होगा।

(द) सभी प्रकार की प्रशिक्षण गतिविधियों के दौरान लेपल कार्ड धारण करना अनिवार्य है। यह आपको संस्थान द्वारा प्रदान किया जावेगा।

5. व्यक्तिगत वाहन

चूंकि आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से आवासीय है अतः प्रशिक्षुओं को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने वाहन यथा दुपहिया, कार आदि अपने साथ न लावें। परिसर में व्यक्तिगत वाहन लाने की अनुमति नहीं है।

6. प्रशिक्षण किट

आपसे अनुरोध है कि आप कार्यक्रम में दौरान् दौरे पर जाने के लिए एक हल्का बैग अपने साथ रखें व विश्रान्ति में अपने कमरे की अलमारी हेतु एक अतिरिक्त ताला रखे। आपके प्रशिक्षण किट में निम्नलिखित सामान रखे गये है:

1. बैग, 2. नोटबुक, 3. पेन, 4. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विवरणिका, 5. रीपा का ब्रोशर, 6. मैस संबंधी अनुदेश, 7. शिष्टाचार/तौर–तरीकों की पुस्तिका, 8. व्यक्तिगत सूचना प्रपत्र, 9. कार्यग्रहण प्रतिवेदन प्रारूप, 10. बंधक पत्र, 11. शपथ–पत्र

7. वाईफाई कैम्पस

एच.सी.एम. रीपा वाईफाई परिसर है। जयपुर वाईफाई का चयन कर आप नेटठ से जुड जायेंगे। आपका पंजीकरण ओटीपी के माध्यम से होगा।

8. अवकाश

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कोई भी अवकाश सामान्यतः अनुमत नहीं किया जावेगा।

9. आचरण एवं अनुशासन

परिसर में आपके विराम के दौरान समूचे प्रशिक्षण की अवधि तक आप राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार "कर्त्तव्य" पर माने जावेगें। आपसे आशा की जाती है कि आप संस्थान के अनुशासन का ध्यानपूर्वक पालन करेगें। संस्थान के कोर्स टीम के अधिकारियों, संकाय सदस्यों, साथियों व कर्मचारी वर्ग से आप शिष्टतापूर्वक बातचीत करेगें। हर समय समय की पाबन्दी का पूर्ण ध्यान रखेगें। अनुशासन का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जावेगा जिसका परिणाम प्रशिक्षण की समाप्ति भी हो सकता है।

10. व्यक्तिगत सूचना

संस्थान में कार्यग्रहण 11 सितम्बर 2017 को प्रारम्भ होगा। आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप कार्यग्रहण करते समय निम्नलिखित दस्तावेज संस्थान को प्रस्तुत करें:

1. पेनकार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि 2. आधार/मतदाता पहचानपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि 3. आपके बचत खाते का नम्बर, शाखा का नाम व आई.एफ.एस.सी. कोड 4. विवाह प्रमाण'पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि यदि आपने यह अपने विभाग को जमा नहीं कराया है, 5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक शिक्षा के प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि 6. आपके नियुक्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि 7. चार पासपोर्ट साईज की फोटो

आपसे आशा की जाती है कि आप उपस्थिति दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत सूचना भरकर काउन्टर पर जमा करा देवें।

समस्त प्रशिक्षु अधिकारी अपने कार्यग्रहण प्रतिवेदन व उपरोक्त सभी कागजात उचित काउन्टर पर जमा कर 11 सितम्बर 2017 को दोपहर 2:30 बजे भगवत सिंह मेहता ऑडिटोरियम, नेहरू भवन के पीछे, ह.च.मा. रीपा प्रांगण में एकत्र होवें।

राज्य सेवा में आने पर आपको हार्दिक बधाईयां साथ ही हम आशा करते है कि आपका भविष्य सुखद और श्रेष्ठ हो।

महानिदेशक, एच.सी.एम. रीपा